राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या – 1868/2012/अलवर

1. चेलाराम पुत्र श्री ज्ञानचंद रोधा,
2. अनिल कुमार पुत्र श्री चेलाराम रोधा,
   जाति खत्री, निवासी–आनन्द नगर
   कॉलोनी, खैरथल, तहसील किशनगढ़बास,
   जिला अलवर (राज0) .....प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक बहादुरपुर,
   जिला अलवर (राज0)

.....अप्रार्थी

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित :

श्री कंवर दानिश,
अभिभाषक .....प्रार्थीगण की ओर से

श्री जमील जई,
उप राजकीय अभिभाषक ..... अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 29.06.2018

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा कलक्टर (मुद्रांक) वृत अलवर (जिसे आगे **"कलक्टर (मुद्रांक)"** कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या 304/2010 में पारित आदेश दिनांक 11.11.2011 के विरूद्व राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **"मुद्रांक अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उप–पंजीयक द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने ग्राम बहादुरपुर पट्टी जोड़िया की कृषि भूमि खसरा नं. 231 रकबा 3 एयर, खसरा नं. 232 रकबा 85 एयर व खसरा नं. 233 रकबा 34 एयर कुल 9500 वर्गमीटर का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ (ईट–भट्टे हेतु) भूमि रूपान्तरण उपखण्ड अधिकारी, अलवर के आदेश क्रमांक 276 दिनांक 16.02.2010 द्वारा करवाया। भूमि रूपान्तरण की यह कार्यवाही राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 1992 सपठित नियम 2007 के अन्तर्गत की गयी। उपपंजीयक बहादुरपुर द्वारा रेफरेन्स इस आधार पर प्रस्तुत किया कि भूमि संपरिवर्तन आदेश दिनांक 16.02.2010 का पंजीयन नहीं कराकर मुद्रांक कर की अपवंचना की है। उपपंजीयक ने भू–रूपान्तरित भूमि व कृषि भूमि की कीमत का अन्तर रूपये 1,70,43,000 – 14,06,000 = 1,56,37,000/- रूपये मालियत मानी। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिया। प्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेंस यथावत स्वीकार कर सम्पत्ति की मालियत रूपये 1,53,67,000/– मानते हुए मुद्रांक कर रूपये 7,81,850/– शास्ति रूपये 14,000/– कुल रूपये 7,95,850/– रूपये वसूलने के

लगातार.....2

आदेश दिये जिससे व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3. निगरानी दर्ज की जाकर रिकॉर्ड व अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेंस के तथ्यों की जांच नहीं की है, न ही रेफरेंस स्वीकार करने बाबत कारण अंकित किया है। अप्रार्थी ने जिस अधीसूचना क्रमांक एफ–2(15)वित्त/कर/2008–97 दिनांक 11.05.2008 का उल्लेख किया है, ऐसी कोई अधिसूचना प्रकाशित नहीं हुई है। रेफरेंस के किस विधिक प्रावधान में प्रस्तुत किया है, स्पष्ट नहीं है। इन्होंने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त कर निगरानी स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

6. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने निर्णय विधिसम्मत बताते हुए निगरानी खारिज करने हेतु अनुरोध किया।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

8. विचाराधीन प्रकरण में रेफरेन्स इस बिन्दू पर आधारित है कि प्रार्थी ने भूमि संपरिवर्तन आदेश दिनांक 16.02.2010 का पंजीयन नहीं कराकर मुद्रांक कर की अपवंचना की है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेंस यथावत स्वीकार किया है। प्रकरण में कोई क्रय–विक्रय नहीं हुआ है। रेफरेंस में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि रेफरेंस का विधिक आधार क्या है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी निगरानीधीन निर्णय में मात्र यह उल्लेख किया है कि ''अप्रार्थी द्वारा पेश जवाब स्वीकार योग्य नहीं है तथा उपपंजीयक द्वारा पेश रेफरेंस सही प्रतीत होता है''। रेफरेंस यथावत स्वीकार किया गया है। प्रकरण में न तो रेफरेंस मे व न ही निर्णय में रेफरेंस के तथ्य, विधिक प्रावधान, रेफरेंस के तथ्यों की जांच, रेफरेंस स्वीकार करने का कारण अंकित है। निर्णय में कारण व विवेचना का अभाव है। उपपंजीयक का यह दायित्व था कि वे रेफरेंस के तथ्यों का विवरण मय विधिक प्रावधान देते। अधीनस्थ न्यायालय का दायित्व था कि वे रेफरेंस के तथ्यों की विधिक व तथ्यात्मक स्थिति के संदर्भ में परीक्षण कर कारण एवं विवेचना सहित निर्णय पारित करते। प्रकरण में दोनों स्तरों पर ही विधिसम्मत कार्यवाही नहीं की गई है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विवेचना–विश्लेषण सहित निर्णय पारित नही करने के कारण विधिसम्मत नही होने के कारण निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर

लगातार.....3

निर्देश दिये जाते है कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 2004 के नियम 65 की पालना करते हुए पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.08.2018 को पेश हों।

10. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य